...य उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
64/20	88,89,91,188,183 RTA	आन्धोली	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
मुन्नी	बनाम	अमीर हुसैन वगै०

वकील :- राकेश गालव एडवो. **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
4/12/20	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91,188,183 RTA विरुद्ध अप्रार्थीगणों के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिश्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक 23/12/2020 को पेश हो। [हस्ताक्षर] 4/12/20	
23/12/20	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी क्रम ~~9,10,11 व~~ 13,14 व 16 के बाद तामील सम्मन प्राप्त मौजूद सूचना के अनुपस्थित। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 व 12,15, व 17 की तलबी हेतु सही पते का तलबाना पेश करे। वास्ते तलबी पत्रावली दिनांक 4/1/21 को पेश हो। [हस्ताक्षर]	नि.अं. अमीर (अ)
4/1/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादीगणों के बाद तामील सम्मन/AD प्राप्त। प्रतिवादी क्रम 1 ता 12 की ओर से श्री अमृतलाल लोधा एडवो. का वकालतनामा पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र O 23 Rule 1 धारा 151 CPC पेश किया गया जिसकी नकल वकील प्रतिवादी को दी गई। प्रतिवादी वकील द्वारा जवाब दावा मय राजीनामा पक्षकारान की उपस्थिति	मुन्नी [हस्ताक्षर] नि.अं. [illegible]

में पेश किया गया जो शामिल किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। चूंकि वादग्रस्त भूमि ख. नं. 178 रकबा 2.08 बीघा वाके मौजा आमोली तहसील छबड़ा में स्थित है जो प्रतिवादी क्रम 15 आरिफा बेगम एवं प्रतिवादी क्रम 16 रईसनिशा के खाते एवं कब्जे काश्त में है और रहेगी। तथा बहदान, रहन, बेचान आदि करने को स्वतन्त्र रहेगी। जिस पर शेष प्रतिवादीगण एवं वादीगण का कोई अधिकार नहीं रहेगा और न ही इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति करेगे।

वकील प्रार्थी ने अपने कथन में यह भी बताया कि वादग्रस्त आराजी भूमि ख. नं. 178 रकबा 2.08 बीघा भूमि वाके मौजा आमोली तह. छबड़ा में जो पूर्व में हसन खाँ पुत्र अब्दुल खाँ के नाम दर्ज थी उनकी मृत्यु के पश्चात इंतकाल नं. 427 दिनांक 19/8/1992 सही तौर पर विधि अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 के पिता अहमद हुसैन तथा प्रतिवादी क्रम 8 ता 13 के पिता निसार अहमद के पक्ष में खोला गया। हसन खाँ की पुत्री हमारी माँ ताहिरा जिनकी मृत्यु उनके पिता हसन खाँ के जीवन काल में ही हो गई थी। इस कारण उनकी संतान/वारिसान 1 ता 4 का वादग्रस्त भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

वकील प्रार्थी ने अपने कथन में यह भी दलील दी की अहमद हुसैन एवं निसार अहमद ने अपने जीवन काल में स्वस्थचित अवस्था में

क्र.	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
	बिना किसी दाब दबाव के समुचित प्रतिफल राशि प्राप्त कर दिनांक 01/7/1996 को वादग्रस्त आराजी ख.नं. 178 रकबा 2.08 बीघा भूमि मौजा ओंडोली तहसील छबड़ा को प्रतिवादी क्र. 14 सगीर उलहक को विक्रय कर उसे कब्जा सम्भला दिया तथा उसके बाद प्रतिवादी क्र. 14 सगीर उलहक ने इस वादग्रस्त आराजी को दिनांक 25/3/2004 को प्रतिवादी क्र. 15 व 16 को बेचान कर कब्जा सम्भला दिया। जब से ही प्रतिवादी 15 व 16 के कब्जे काश्त में चली आ रही है इस भूमि पर वादीगण 1 ता 4 एवं प्रतिवादीगण 1 ता 13 का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। अतः वाद पत्र को प्रतिवादी 1 ता 17 के एवं वादीगण के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण दावे को वापिस लेना चाहते है। उक्त वाद पत्र की कार्यवाही इसी स्तर पर डाँप की जावे।	
	वकील प्रतिवादी 1 ता 12 द्वारा प्रस्तुत जवाब राजीनामे को तथ्यों को दोहराते हुए अपने कथन में बताया कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 178 रकबा 2.08 बीघा ग्राम ओंडोली तहसील छबड़ा में स्थित है जो प्रतिवादी 15 आरिफा बेगम एवं प्रतिवादी क्र. 16 रुकसाना के खाते एवं कब्जे काश्त में है और रहेगी तथा प्रतिवादी क्र. 15 व 16 दान रहन बेचान आदि करने को स्वतन्त्र रहेंगी। जिस पर उक्त ~~प्रतिवादी~~ शेष प्रतिवादीगण अहमद हुसैन व निसार अहमद के अतिरिक्त प्रतिवादी क्र. 1 ता 13 का कोई हक व अधिकार कानूनी तौर पर नहीं है। अहमद हुसैन व निसार अहमद ने अपने	

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

उनवान : .... मु.नं. ....

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
	जीवन काल में ही प्रतिवादी क्र. 14 सगीर उलहक को जरिये विक्रय पत्र से विक्रय कर दिया तथा कब्जा सम्भला दिया तथा इसी उक्त वाद ग्रस्त आराजी को प्रतिवादी क्र. 14 ने 15 व 16 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर कब्जा व दखल सुपुर्द कर दिया जब से ही प्रतिवादी 15 व 16 निर्विवाद रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं इस वाद ग्रस्त आराजी पर वादीगण 1 ता 5 एवं प्रतिवादी क्र. 1 ता 13 का कानूनी तौर पर कोई हक व अधिकार नहीं है।
	वादीगण द्वारा वाद पत्र विवादग्रस्त आराजी में अपना हक इंतकाल संख्या 427 दि. 19/8/1992 को गलत बताकर वाद पेश किया गया था। प्रतिवादीगण क्र. 1 ता 13 अहमद हुसैन व निसार अहमद के वारिसान को प्रतिवादी बनाते हुए वाद पेश किया गया था जो कानूनी तौर पर सही नहीं है प्रतिवादीगणों के विरुद्ध पेश किया गया वाद पत्र अवैधानिक व गैर कानूनी है।
	हम वादीगण व प्रतिवादीगणों के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है। ताहिरा बेगम का इंतकाल उसके पिता हसन खाँ के जीवन काल में ही हो गया था। उक्त वाद ग्रस्त आराजी ख.नं. 178 रकबा 3.08 बीघा भूमि ग्राम आचोली तहसील छबड़ा की आराजी पर वादीगणों का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है। इसलिए आपसी समझाइश व राजीनामा के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र खिलाफ प्रतिवादीगण अपने अधिकारों का त्याग करते हुए

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्र.	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र O 23 Rule 1 धारा 151 CPC के अनुरूप वाद पत्र की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप करने की कृपा करें।

इसी बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना O 23 Rule 1 धारा 151 CPC का अवलोकन करने एवं प्रतिवादीगणों व वादीगणों के मध्य हुए लोक अदालत की भावना व राजीनामे को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र O 23 Rule 1 धारा 151 CPC स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)